

22/11/19

पत्रावली पेज हुई। वकील इमीलेंट उपस्थित नहीं। न्यायालय  
समय में प्रत्येक-2 बार पुकार। सत्र के वाक्य इमीलेंट  
या उनके कार्यकर्ता उपस्थित नहीं हुए। मामले में दि.  
22.10.13 की आदेशिका से स्पष्ट होता है कि इमीलेंट  
के पक्ष में अंतरिम आदेश से अस्वास्थ्य निबंधना जारी  
की हुई है। इस पक्षीय आदेश के वाक्य इमीलेंट पक्ष  
द्वारा 039 CPC के प्रावधानों की पालना में सिंपोजिट को  
अधिक शक्ति A-D प्राप्त नहीं मिलवाए जो आदेशिका दि.

04.12.18 से स्पष्ट आदेश के वाक्य पालना नहीं हुई है।  
द्वारा मामला इन्फ्र हाजी इन्फ्र डेवी एवं इन्फ्र  
पालना में खारिज किया जाय ही पत्रावली यहाँ देकर वाक्य (न्यायालय)

